न्यायालय ना.तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 399/18 तारीख रजू. 15/2/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का नांगलपुरा बनाम श्री जनक पुत्र रामभरोसीलाल जाति गूजर निवासी सिकन्दरपुर तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 12/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री जनक ने ग्राम सिकन्दरपुर को भूमि ख.न. 889/1023 रकबा 0.25 किस्म चरागाह फसल रबि / ~~खरीफ~~ संवत 2074 में चना कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की आरसी प्र. दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव मे कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नही किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 889/1023 रकबा 0.25 किस्म चरागाह वाके ग्राम सिकन्दरपुर से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 5.00 50.00 गुणा 250.00/- शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल चना को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

ह.
नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)
ना.तहसीलदार महवा

रजिस्टर ग/प की पेज नं0 112 पर
वर्ष 2017-18
250 रू.
दिनांक 14/3/18 सहायक राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा